भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3787
(12 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

3787. श्री अ. मनि:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के प्रत्येक घटक के अंतर्गत वर्तमान में कितने लाभार्थी शामिल हैं;

(ख) क्या एनएसएपी ने गरीबों को सामाजिक सहायता प्रदान करने के अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लिया है;

(ग) बुजुर्ग व्यक्तियों, विधवाओं और दिव्यांग व्यक्तियों में गरीबी कम करने संबंधी कार्यक्रम का क्या प्रभाव है;

(घ) क्या एनएसएपी का कोई स्वतंत्र मूल्यांकन या आकलन किया गया है और यदि हाँ, तो ऐसे मूल्यांकनों के प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं;

(ङ) क्या एनएसएपी के कार्यान्वयन में प्रौद्योगिकी को समेकित किया गया है;

(च) यदि हाँ, तो प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) और ऑनलाइन लाभार्थी प्रबंधन प्रणालियों जैसे उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(छ) इन उपायों से पारदर्शिता और कार्यकुशलता में कितना सुधार हुआ है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) में पाँच योजनाएँ शामिल हैं: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यूपीएस), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस), राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (एनएफबीएस) और अन्नपूर्णा योजना। एनएसएपी के प्रत्येक घटक के अंतर्गत लाभार्थियों की योजना-वार अधिकतम संख्या नीचे दी गई है:

आईजीएनओएपीएस	आईजीएनडब्ल्यूपीएस	आईजीएनडीपीएस	एनएफबीएस	अन्नपूर्णा
22130687	6783469	833751	358840	831722

(ख) से (ग) एनएसएपी को नागरिकों के सबसे कमजोर समूहों को बुनियादी स्तर की वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरु किया गया था। एनएसएपी के तहत 200-500 रुपये प्रति माह पेंशन प्रदान की जाती है। एनएसएपी दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता के अलावा टॉप-अप राशि प्रदान करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। वर्तमान में, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एनएसएपी की पेंशन योजनाओं के तहत प्रति लाभार्थी 50 रुपये से 5700 रुपये प्रति माह तक के टॉप-अप राशि जोड़ रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप, कई राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एनएसएपी पेंशनभोगियों को औसतन 1100 रुपये मासिक पेंशन मिल रही है। एनएसएपी योजनाओं के प्रभाव का आकलन करने के लिए समय-समय पर विभिन्न प्रभाव आकलन और मूल्यांकन अध्ययन किए गए हैं। इन अध्ययनों के परिणामों के अनुसार, एनएसएपी गरीबी को कम करने और कमजोर समूहों जैसे बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांगों और सामान्य आबादी के बीच अंतर को कम करने में मदद करता है। यह लाभार्थियों के जीवन स्तर और स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच में सुधार लाने में भी मदद करता है। सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं के साथ-साथ इस कार्यक्रम ने गरीबों और बेसहारा लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है।

(घ) से (ङ) मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से पेंशन के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड संवितरण के लिए एक संपूर्ण डिजिटल उपकरण के रूप में संचालित राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम-पेंशन भुगतान प्रणाली (एनएसएपी-पीपीएस) नामक एक वेब-आधारित पेंशन भुगतान पोर्टल से लाभार्थी को सीधे पेंशन सहायता के त्वरित और सुचारु रूप से संवितरण सुनिश्चित करने में मदद मिली है। एनएसएपी के तहत 90% से अधिक पेंशन संवितरण डीबीटी मोड के माध्यम से होता है। आधार/मोबाइल सीडिंग के साथ-साथ लाभार्थी डेटा के डिजिटलीकरण से लाभार्थियों का दोहराव और निधियों का रिसाव समाप्त हो गया है। पेंशन लाभार्थियों के वार्षिक जीवंतता प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को डिजिटल बनाने के लिए एक आधार आधारित मोबाइल एप्लिकेशन शुरु किया गया है।

*****